संख्या-94/ /2017/1248/26-3-2017-(97)/93

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 9 जून, 2017

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-166/स0क0/विकास/ आवंटन/2016-17 दिनांक 11-5-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017 -231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2017/ बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.03.2017 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत भारत सरकार से वित्त पोषित अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता हेतु आय व्ययक प्राविधान रू0-4620.00 लाख (रूपये छियालिस करोड़ बीस लाख मात्र) के सापेक्ष केन्द्रांश की प्रत्याशा में निम्नलिखित विवरण के अनुसार 25 प्रतिशत अर्थात रू0-1155.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ पचपन लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः- (धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	**आय-व्ययक प्राविधान 2017-18**	**स्वीकृत धनराशि 2017-18**
अनुदान संख्या-83-आयोजनागत-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण -789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0111-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50-के.रा.)		
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100.00	25.00
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	4500.00	1125.00
42-अन्य व्यय	20.00	5.00
कुल योग	**4620.00**	**1155.00**

(रूपये ग्यारह करोड. पचपन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/ डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(2) धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं योजना में धनराशि व्यय किये जाने के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है तथा योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित परिव्यय की सीमा में ही जनपदवार धनराशि का आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार किये गये जनपदवार आवंटन के आदेश की प्रति शासन/ नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित जिलाधिकारी नियोजन विभाग से उक्त धनराशि के सापेक्ष जनपदवार परिव्यय की उपलब्धतता के आधार पर ही धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेगें किसी प्रकार विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगें। राज्य योजना आयोग(नियोजन विभाग) के परिपत्र संख्या-9/71/35-आ0-2/ 91-92, दिनांक 16-8-1999 के निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि जनपद की जिला योजना वर्ष 2017-18 में शासन से अनुमोदित धनराशि से आवंटन अधिक पाया जाय तो धनराशि का आहरण उसी सीमा तक अनुमन्य होगा, जिस सीमा तक जिला योजना में धनराशि शासन/नियोजन विभाग से अनुमोदित हो। पूर्व में निर्गत धनराशि एवं अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त योजना 50 प्रतिशत भारत सरकार से वित्त पोषित है। अतः उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को उपलब्ध/प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

(7) उपर्युक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0111-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50-के.रा.)-19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

संख्या-94/2017/1248/(1)/26-3-2017-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश।
5- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।
9- राज्य योजना आयोग-1/2/निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।